59

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल महोदय, गवालियर, म०प्र०

प्रकरण क्रं०: R-740-PBR/17 :2016-17: निगरानी

(1) किसना आयु 60 वर्ष

(2) हरगोविन्द आयु 40 वर्ष पुत्रगण ओंकाराम कुशवाह, निवासीगण ग्राम जंगीपुर, तहसील डबरा, जिला ग्वालियर, म०प्र०

---प्रार्थीगण

श्री ... द्वारा आज दि. 27-2-17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर 27.2.17

वनाम

(1) गन्शी पुत्री ओंफा पत्नी रमेश आयु 50 वर्ष जाति कुशवाह निवासी बड़ा बाजार पिछोर परगना डबरा, जिला ग्वालियर, म०प्र०

(2) राजू पुत्र रमेश उम्र 35 वर्ष

(3) गुड्डी पुत्री रमेश उम्र 40 वर्ष

समस्त निवासीगण ग्राम जंगीपुर, तहसील डबरा, जिला ग्वालियर, म०प्र०

---प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी प्राथनापत्र अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू-राजस्व संहिता 1959 विरुद्ध आदेश न्यायालय एस०डी०ओ० महोदय डबरा के प्रकरण क्रमांक 26:13-14 अपील वउनमान गन्शी वनाम किशना आदि में पारित आदेश दिनांक 10-1-2017 जिसके द्वारा अपीलाथी गन्शी वनाम किशना आदि का आवेदनपत्र धारा 35(3) म०प्र०भू- राजस्व संहिता अनुचित व अवैध रूप से स्वीकार कियागया ।

श्रीमान् महोदय,

प्रार्थीगण की ओर से निगरानी निम्न प्रकार से है :-

[illegible]

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक 740–पीबीआर/17 **जिला ग्वालियर**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9.3.2017	आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 10–1–2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि उनके द्वारा संहिता की धारा 35(3) का आवेदन पत्र स्वीकार कर प्रकरण को पुनः नम्बर पर लिया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । अतः यह निगरानी प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से अग्राहय की जाती है । अध्यक्ष	